आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
15/11/2018	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।** जमाबंदी रद्द वाद संख्या–03/AC/2014–15 सरकार बनाम शकुन्तला देवी **आदेश** यह जमाबंदी रद्द वाद अंचल अधिकारी मखदुमपुर के पत्रांक–444 दिनांक–12.04.2014 के द्वारा शकुन्तला देवी, पति–गिरजानन्दन प्रसाद साकिन–कोहरा, थाना–310 खाता सं0–321 प्लॉट सं0–1173 रकवा–24डी0 गैरमजरूआ मोकरीदार व ठिकेदार परती कदीम भूमि पर अवैध ढंग से चल रहे जमाबंदी संख्या–91/IV को रद्द करने हेतु प्रपत्र–XIV में खतियान के साथ दिये गये प्रस्ताव के अनुसार जमाबंदी रद्द करने हेतु यह वाद प्रारंम्भ किया गया है तथा विपक्षी को इस कार्यालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सुचना निर्गत की गयी है तथा सूचना का तमिला प्राप्त है। विपक्षी का कहना है कि उपरोक्त जमीन का खतियान कुल एराजी 01 एकड़ 93 डी0 गैरमजरूआ मोकिरीदार व ठिकेदार किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है। जमीनदारी जाने के बाद यह जमीन बिहार सरकार में समाहित हो गयी है तथा यह जमीन बिहार सरकार की है जिसपर विपक्षी का अवैध कब्जा है तथा विपक्षी के नाम से इस अंचल में कायम जमीन का जमाबंदी गैर कानून है तथा निरस्त करने योग्य है। विपक्षी का यह दावा और अभिकथन है कि विवादित प्लॉट संख्या–1173 की कुल एराजी 1 एकड़ 93 डी0 वर्ष 1916 में बने खतियान में किस्म जमीन का परती कदीम के रूप मे दर्ज है और पुराना सर्वे खतियान से यह भी स्पष्ट है कि यह जमीन कुल एराजी 1 एकड़ 93 डी0 मोकरी(लीज) में भूतपूर्व जमीनदार ने किसी व्यक्ति को दे रखा था परंतु मोकरीदार के ठिकेदार का नाम इस खतियान मे दर्ज नहीं है और न तो आज तक इस खतियान में मोकरीदार वो ठिकेदार दर्ज व्यक्ति इस जमीन पर दावा किये। इस खतियान से स्पष्ट है कि इस जमीन के भूतपूर्व जमीनदार सैयद नजमुद्दीन हैदर थे तथा अपने एक मात्र पुत्र सैयद जलालउदीन को छोडकर मरे। जिनका इस जमीन पर पूर्ण हक हकियत अधिकार तथा खास कब्जा था। सैयद जलालउदीन भूतपूर्व जमीनदार ने अपने पिता के मरने के बाद इस विवादित प्लॉट में हुकमनामा दिनांक–25 आश्विन 1328 फसली (1921) द्वारा उचित नजराना लेकर 15 कट्ठा जमीन का विधिवत हुकमनामा द्वारा उवैदा खातून के नाम से बंदोबस्त किये और बंदोबस्तदार को कब्जा दखल दिये। उवैदा खातून के नाम से जमींनदारी रसीद लगान अदा करने पर कटी और जब जमीनदारी बिहार सरकार में (समाहित) कर गयी तब उवैदा खातून के नाम से इस जमीन का भी जमाबंदी विधिवत कायम हुआ। उवैदा खातून के नाम से इस जमाबंदी को आज तक चुनौती नहीं दी गयी है। उवैदा खातून अपनी इस जमीन 15 कट्ठा को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उचित जरसमन लेकर दिनांक–20.11.1961 को निबंधित केवला के द्वारा जगदेवन गोप, सहोदरी देवी और लालदास यादव के संयुक्त नाम से बिक्री कर दी और खरीदारों को कब्जा दखल दे दी गयी। लालदास यादव विपक्षी शकुन्तला देवी के ससुर है इन तीनों खरिदारों के नाम से जमांबदी सख्या–318/1962 मे अंचल कार्यालय में काम हुई है। इस जमाबंदी को आज तक हक चुनौती नहीं दी गयी। जगदेवन यादव उर्फ जगदेवन गोप अपने पीछे एक पुत्र रामधारी यादव को छोडकर मरे। रामधारी यादव भी उपरोक्त 1961 की खरीदारी के आधार पर खरीदगी जमीन एराजी 23½ डी0 को उचित जरसमन लेकर निबंधित केवाला दिनांक–28.05.1999 द्वारा विपक्षी शकुन्तला	

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की ग... में टिप्पणी, तारी... 3

देवी के हाथों विधिवत बिक्री कर दिये और खरीदार को कब्जा दखल दे दिये। शकुन्तला देवी इस निबधित केवाला और कब्जा के आधार पर अंचल आफिस में अपने नाम से जमाबंदी कायम करने के लिए आवेदन दी थी स्थानीय कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इस जमीन का जमाबंदी नियमानुसार इस विपक्षी के नाम से विधिवत कायम हुई है। विपक्षी का इस जमीन पर मकान एवं हसन है एवं शांतिपूर्ण कब्जा दखल है। यह जमाबंदी 91/2012 नियमतः सही और जायज है तथा यह निरस्त करने योग्य नहीं है ।

विपक्षी का यह भी कहना है कि इस विवादित प्लॉट सं0–1173 कुल एराजी 01 एकड़ 93 डी0 में स्थल पर एक इंच भी खाली जमीन नहीं है बल्कि विपक्षी के आलावे गाँव के अन्यं 13 व्यक्तियों का पुराना मकान बना हुआ है परंतु इन व्यक्तियों के विरूद्ध आज तक कोई भी सरकार के द्वारा नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई है जबकि विपक्षी बिहार सरकार को अपनी इस जमीन का लगान दे चुकी है और अद्यतन रसीद भी कटी है एक ओर अंचल अधिकारी द्वारा इस जमीन को निस्पत विपक्षी के नाम के कायम जमाबदी को निरस्त करने का इस अदालत से अनुरोध किया गया है तथा दुसरी ओर इस विपक्षी से इस जमीन का कायम जमाबंदी के आधार पर लगान भी वसूला जा रहा है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है यह भी सत्य है कि इस विपक्षी के दुश्मनों के प्रभाव में आकर अंचल अधिकारी मखदुमपुर अतिक्रमण वाद चलाकर इस विपक्षी को अपनी इस जमीन से अतिक्रमण को हटाने का निदेश दिये थे। जिसकी चुनौती विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No-22940/2013 दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष उपरोक्त अपना सारा दावा प्रस्तुत की थी और प्रार्थना की थी की बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया है उसे निरस्त किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सही आदेश हुआ कि जब इस जमीन की जमांबदी सरकार के सिरिस्ते में सरकार द्वारा विधिवत कायम हुई है तब निश्चित तौर पर यह जमीन लोक भूमि नहीं है। अब अंचल अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–27.07.2017 के आलोक में इस विपक्षी के नाम से कायम इस जमीन का एराजी 23½ जमाबंदी को निरस्त करने का प्रयास कर रहे है जो न्याय की दृष्टी में पुनतः गलत है एवं गैर कानूनी है। विपक्षी के नाम में उपरोक्त जमीन की जमाबंदी नियमाकूल है तथा इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है विपक्षी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–28.03.2017 को CWJC No-16123/2013 में पारित आदेश को इस वाद में दाखिल कर यह कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा विपक्षी के नाम कायम विधिवत जमाबंदी को मात्र इस आधार पर निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस जमीन का खतियान सौ साल पहले तैयार खतियान में गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है। अतः जमीन बिहार सरकार की है ऐसे दावे को इस माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अमान्य किया जाये। ऐसे हालात में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकोर जमाबंदी निरस्त करने के पूर्व सक्षम न्यायालय में मुकदमा लाने का निदेश दिया गया है यह फैसल माननीय उच्च न्यायालय पटना का माननीय सर्वेच्चय न्यायालय के पूर्व का फैसला A.I.R.–1981 सुप्रीम कोर्ट पेज न0–1681 पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिहार सरकार को ऐसी जमाबंदी को जो वर्ष 1916 के खतियान को आधार मानकर निरस्त करने के पहले सक्षम अदालत में वाद लाने का निदेश दिया गया है के आलोक में विपक्षी का कहना है कि विवादित प्लॉट में 23½ की कायम जमाबंदी नियमतः सही है एवं जायज है अतः इस बात को खारिज किया जाय।